



उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

// विज्ञापन //

क्रमांक : 797/परीक्षा/2024

जबलपुर, दिनांक- 18/09/2024

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में जूनियर ज्युडिशियल ट्रांसलेटर (Junior Judicial Translator) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन वर्ष-2024

ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभ तिथि :-	18 सितम्बर, 2024 दोपहर 12:00 बजे से
ऑनलाइन आवेदन (भुगतान सहित) करने की अंतिम तिथि :-	30 सितम्बर, 2024 रात्रि 11:55 बजे तक
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की प्रारंभ तिथि :-	03 अक्टूबर, 2024 दोपहर 12:00 बजे से
आवेदन में त्रुटि सुधार करने की अंतिम तिथि :-	05 अक्टूबर, 2024 रात्रि 11:55 बजे तक
ऑनलाइन प्रारम्भिक परीक्षा की तिथि :-	बाद में अधिसूचित की जावेगी।
मुख्य परीक्षा की तिथि :-	बाद में अधिसूचित की जावेगी।

नोट- 1 इच्छुक अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करने के अनुक्रम में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, की वेबसाइट www.mphc.gov.in को समय-समय पर देखते रहें। वेबसाइट पर दी गई सूचनाओं से अभ्यर्थियों का अवगत होना माना जायेगा। वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना/शुद्धिपत्र की जानकारी न होने के आधार पर कोई आपत्ति मान्य नहीं की जायेगी।

2 यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपनी जन्मतिथि, शैक्षणिक अर्हता, आरक्षण अथवा दाण्डिक प्रकरण (लंबित/निराकृत) आदि से संबंधित कोई सारभूत जानकारी या अन्य कोई ऐसी जानकारी, जो ऑनलाईन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र या अन्य किसी आवेदन या दस्तावेज में चाही गई है, अपूर्ण दी जाती है अथवा छिपाई जाती है, तो उक्त तथ्य किसी भी समय संज्ञान में आने पर तत्काल उसका आवेदन एवं अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी।

इस विज्ञापन द्वारा अग्रवर्णित पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं।

खण्ड "अ"

(एक)– पदों की श्रेणीवार संख्या :-

Name of post	Category				Total Post
	UR	OBC	SC	ST	
Junior Judicial Translator	23 (1 PH)	06	07 (1 PH)	09 (1 PH)	45 (3 PH)

नोट :- उपरोक्त पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।

(दो)– पदनाम, वेतनमान, शैक्षणिक / तकनीकी अर्हतायें तथा आयु सीमा :-

विज्ञापित पद का नाम, वेतनमान, शैक्षणिक / तकनीकी अर्हता तथा आयु सीमा *High Court of Madhya Pradesh Services (Recruitment, General Conditions of Services, Conduct, Classification, Control and Appeal) Rules, 2017* की "अनुसूची-एक के अनुक्रमांक 46 के कॉलम क्र०-2, 5, 6 एवं 7" के अनुसार निम्न हैं :-

पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक / तकनीकी अर्हता	आयु सीमा दिनांक-01.01.2024 को
Junior Judicial Translator	9300-34800 + GP 3600	1. Law Graduate and must possess knowledge of English & Hindi. 2. Knowledge of Computer Application.	18-35 वर्ष

(तीन)– संबंधित पद की योग्यता हेतु टीप :-

उपरोक्तानुसार दर्शित सभी शैक्षणिक व तकनीकी अर्हतायें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक धारित / उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(चार)– आरक्षण संबंधी टीप :-

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के मध्यप्रदेश राज्य के बाहर के सभी आवेदक, आवेदन पत्र में अपनी श्रेणी "अनारक्षित" भरें। आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश राज्य के ऐसे मूल निवासी अभ्यर्थियों, जो अनुसूचित जनजाति अथवा अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी के सदस्य हों, को ही प्राप्त होगा।

(पांच)– चयन एवं अभ्यर्षिता हेतु अर्हता निम्नानुसार होगी :-

- कोई व्यक्ति नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह भारत का नागरिक ना हो।



2. कोई भी अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नी/पति हैं, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।
3. कोई भी अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा, जिसकी 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् दो से अधिक संतान हैं, जैसा कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम, 6 (6) में प्रावधानित किया गया है।

स्पष्टीकरण—

- (अ) व्यक्ति जिसके दो से अधिक संतान हैं को नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं समझा जाएगा, जहां पूर्व से ही एक जीवित संतान होने के पश्चात् वर्ती प्रसव में एक से अधिक संतानें पैदा हुई हों।
 - (ब) दिनांक—26.01.2001 से 280 दिनों के भीतर संतान का जन्म अयोग्यता का गठन नहीं करेगा। इस संबंध में कृपया मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 5069/2002 श्री ओझीलाल गौण्ड विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य के निर्णय दिनांक—07.11.2003 का अवलोकन करें।
4. कोई भी अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसे जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा पद पर नियुक्ति के लिये शारीरिक रूप से स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र जारी न किया गया हो।

परंतु अभ्यर्थी को नियुक्ति दिनांक से 30 दिवस के भीतर उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की शर्त पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा। उक्त 30 दिवस की अवधि में प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति समाप्त किये जाने के योग्य होगी।

5. अभ्यर्थी द्वारा स्वयं की अभ्यर्थिता हेतु समर्थन प्राप्त करने का कोई भी प्रयास उसे चयन के लिये अयोग्य कर सकेगा।
6. कोई भी व्यक्ति उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा, यदि वह :—

(अ) व्यक्तियों के किसी ऐसे समूह का सदस्य है या रहा हो, जिसे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा (जैसी भी स्थिति हो) अविधिपूर्ण घोषित किया गया हो; और पद के लिए विज्ञापन के प्रकाशित होने की दिनांक तक सदस्य रहा हो;

अथवा

(ब) जिस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी गतिविधि में भाग लेने अथवा ऐसे कार्यक्रम से जुड़ने का अभियोग लगाया गया हो ;

एक— जिसका ध्येय भारत के संविधान को क्षति पहुंचाने का रहा हो;

दो— जिसका ध्येय संगठित होकर हिंसा द्वारा विधि की अवज्ञा या भंग करना हो;

तीन— जो भारत की संप्रभुता व अखण्डता अथवा राज्य की सुरक्षा के हितों के प्रतिकूल हो; अथवा

चार— जो धर्म, वंश, भाषा, जाति या संप्रदाय के आधार पर व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों के मध्य बैर, शत्रुता अथवा घृणा की भावना को बढ़ावा देता हो;

अथवा

(स) जिसे केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा या स्थानीय निकाय अथवा किसी भी न्यायालय द्वारा सेवा से पृथक किया गया हो;

अथवा

(द) जिसे संघ अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा या किसी स्थानीय अथवा वैधानिक निकाय द्वारा अथवा किसी न्यायालय ने उसके द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित अथवा अयोग्य किया गया हो;

अथवा

(ई) जिसे नैतिक अधमता से जुड़े किसी अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया हो।

(छ) — अन्य आवश्यक अर्हता एवं जानकारी :-

- (1) परीक्षा में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्रावधिक है। परीक्षा में प्रवेश दिये जाने अथवा प्रवेश पत्र जारी किये जाने मात्र के आधार पर अभ्यर्थी पद के संबंध में किसी प्रकार की वरीयता/आरक्षण अथवा परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता अथवा चयन प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- (2) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश को होगा।
- (3) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है अथवा उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो संज्ञान में आने पर किसी भी समय उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी, जिसके विपरीत कोई भी अभ्यावेदन/पत्राचार स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (4) यदि कोई अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित शैक्षणिक या तकनीकी योग्यता संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता परीक्षा के किसी भी स्तर पर समाप्त की जा सकेगी, जिसके विरुद्ध कोई अभ्यावेदन या पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (5) ऑनलाइन आवेदन पत्र की त्रुटियों को सुधारने हेतु ऑनलाइन फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिवस का समय प्रदान किया गया है, उक्त अवधि में अनुज्ञेय त्रुटियों को सुधारा जा सकेगा, उक्त अवधि उपरांत कोई त्रुटि सुधार नहीं किया जा सकेगा।

अभ्यर्थी विशेष ध्यान दें कि विहित समयवधि उपरांत ऑनलाइन फार्म भरने में की गई त्रुटियों का सुधार नहीं होगा तथा किसी भी गलत जानकारी के संज्ञान में आने पर अभ्यर्थिता समाप्त की जा सकेगी तथा इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा। अतः फार्म अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें।

- (6) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने में पंजीबद्ध/न्यायालय में लंबित हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो, तो इस संबंध में निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित अपराध क्रमांक, थाना, प्रकरण क्रमांक व दिनांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें। यदि कोई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन फार्म में दाण्डिक प्रकरण की जानकारी छिपाता है, तो संज्ञान में आने पर किसी भी समय उसकी अभ्यर्थिता तत्काल बिना कोई कारण बताये निरस्त कर दी जायेगी और उसे परीक्षा के आगामी चरणों में भाग लेने से निवारित कर दिया जायेगा।

(सात)– अनर्हताएँ :-

ऐसे व्यक्तियों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उनकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या उन्हें स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये अनर्ह किया जा सकेगा :-

- (1) जिसने परीक्षा में किसी भी प्रकार का समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो; या
- (2) प्रतिरूपण (Impersonation) किया हो या कराया हो; या
- (3) कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
- (4) चयन के किसी भी स्तर पर दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो; या
- (5) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिये कोई अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
- (6) परीक्षा कक्ष में किसी भी अनुचित साधन का उपयोग किया/करने का प्रयास किया हो; या
- (7) परीक्षा संचालन में संलग्न व्यक्तियों/कर्मचारियों/अधिकारियों अथवा किसी शासकीय सेवक को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुँचायी हो या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; या
- (8) प्रवेश पत्र में दिये गये किन्हीं निर्देशों या अन्य अनुदेशों, जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दी गई हिदायतें भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो; या
- (9) परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना, परीक्षा के दौरान किसी अभ्यर्थी से बात करना या अन्य अभ्यर्थियों की कम्प्यूटर स्क्रीन/उत्तरपुस्तिका में झाँकना व अन्य प्रकार से सम्पर्क साधना जैसा वर्जित कार्य किया हो; या
- (10) परीक्षा केन्द्र/परिसर में शोर-शराबा अथवा धक्का-मुक्की करता है अथवा किसी कम्प्यूटर/उपकरण अथवा उससे जुड़े किसी यंत्र/किसी फर्नीचर/भवन अथवा किसी शासकीय/निजी संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचाता है; या



- (11) अन्य कोई ऐसा आचरण किया हो, जो आदर्श परीक्षार्थी के लिये वर्जित किया गया है या किया जा सकता है।
- (12) परीक्षा कक्ष में अपने पास जानबूझकर या अन्यथा किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री यथा मोबाइल फोन, ब्लूटूथ बड, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, घड़ी या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण अथवा अन्य कोई ऐसी सामग्री, जो वीक्षक के दृष्टिकोण से संदिग्ध हो, रखना/धारित करना प्रतिबंधित है और ऐसी किसी भी वस्तु/सामग्री को परीक्षा केंद्र परिसर के मुख्य द्वार के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं है। बिना पूर्वानुमति के परीक्षा केंद्र परिसर में कोई प्रतिबंधित अथवा संदिग्ध वस्तु/सामग्री पायी जाने पर अथवा इन निर्देशों का कोई भी उल्लंघन करने पर अभ्यर्थिता को तत्काल रद्द किया जा सकेगा और परीक्षा से निष्कासित करने की कार्रवाई की जा सकेगी, जिसमें भविष्य की परीक्षाओं में भाग लेने पर प्रतिबंध भी शामिल है।

खण्ड "ब"

(क)– आवेदन-शुल्क :-

श्रेणी	परीक्षा शुल्क	सेवा प्रदाता को देय पोर्टल व अन्य शुल्क	योग
	(अ)	(ब)	(अ)+(ब)
अनारक्षित एवं/अथवा मध्यप्रदेश राज्य से बाहर (दिव्यांग के अतिरिक्त) के आवेदकों हेतु	₹ 200/-	₹ 743.40/-	₹ 943.40/-
1. अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी) 2. सभी दिव्यांग	निरंक	₹ 743.40/-	₹ 743.40/-

नोट :- (1) उपरोक्त शुल्क परिवर्तन के अधीन है और परिस्थितियों में परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी को परिवर्तित शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क वापस किए जाने अथवा समायोजित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है तथा शुल्क परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति(यों)/अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी का आवेदन तभी पूर्ण माना जायेगा, जब निर्धारित शुल्क का भुगतान नियत समय के भीतर सफलतापूर्वक हो चुका हो।

यह सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी कि परीक्षा हेतु आवेदन और शुल्क निर्धारित तिथि व समय के पूर्व जमा हो चुका है। बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की असफलता या अन्य किसी भी कारणवश यदि अभ्यर्थी का आवेदन अथवा



परीक्षा शुल्क या उसका कोई भाग निर्धारित अवधि में जमा नहीं हो पाते हैं, तो इस संबंध में प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(ख)– ऑनलाइन आवेदन भरने सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी :-

1. आवेदन पत्र उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश की वेबसाइट www.mphc.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा, अभ्यर्थी को उक्त वेबसाइट पर जाकर "Recruitment/Result" के टैब पर क्लिक करना होगा, तत्पश्चात् "Online Application Forms/Admit Cards" टैब/लिंक पर क्लिक करना होगा, जिसमें इस भर्ती का ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध होगा, जिसे क्लिक करने पर 04 लिंक उपलब्ध होंगी, जो कि निम्नानुसार हैं :-

- I. Advertisement
- II. Registration
- III. Application
- IV. Edit Application

Advertisement लिंक पर क्लिक कर विज्ञापन के पूरे निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें, तत्पश्चात् Registration लिंक पर क्लिक कर चाही गई जानकारी को दर्ज करें, जिसके आधार पर अभ्यर्थी द्वारा दर्ज किये गये मोबाईल नंबर एवं ई-मेल आई.डी. पर User-ID & Password भेजा जायेगा, जिसके द्वारा अभ्यर्थी Application लिंक पर क्लिक कर अपना आवेदन फार्म पूरा भरकर अपनी फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। पूरे फार्म को भरने के उपरांत अभ्यर्थी फार्म को Preview कर Submit बटन पर क्लिक कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। एक बार शुल्क जमा होने के पश्चात् उसे वापस किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है और इस संबंध में अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में उसके द्वारा दी गई जानकारी व विवरण सही व सत्य हैं, बाद में त्रुटि-सुधार के लिये पृथक से कोई अभ्यावेदन पोषणीय नहीं होगा।

2. उक्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद अभ्यर्थी डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान कर सकेंगे। निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, प्रिंट बटन पर क्लिक कर प्राप्त कर लें। उक्त प्रिंट आउट परीक्षा की आगामी प्रक्रियाओं हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
3. ऑनलाइन आवेदन फार्म भरते समय हुई त्रुटि सुधार के लिये Edit Application के रूप में पृथक से समयावधि दी गई है किंतु यह अवधि मात्र आवेदन फार्म भरते समय जो प्रविष्टियाँ की गई हैं, उनके संबंध में सुधार के लिए लागू होगा। Registration form भरते समय जो प्रविष्टियाँ की गई हैं, उनमें सुधार हेतु कोई प्रावधान नहीं है।
4. कृपया विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ लें और यदि आपको ऑनलाइन फार्म भरने में कोई समस्या आती है, तो दूरभाष नम्बर (+91-9513253384) पर तत्काल सम्पर्क करें।



नोट:- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि वह आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करता है। आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।

खण्ड—“स”

(क)– परीक्षा की योजना :-

उक्त पद की भर्ती दो (02) चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में Screening हेतु अभ्यर्थियों की ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई जावेगी, जिसमें सफल हुए अभ्यर्थियों में से 1:3 के अनुपात में चयनित अभ्यर्थियों की द्वितीय चरण में मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित कराई जावेगी।

(ख)– प्रवेश पत्र :-

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा के प्रवेश-पत्र उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर उपलब्ध कराये जावेंगे, जिसका प्रिंट आउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी को अपना आवेदन क्रमांक एवं पासवर्ड दर्ज करना होगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने/प्रिंटआउट करने की सुविधा परीक्षा तिथि के लगभग 07 दिन पूर्व से उपलब्ध रहेगी। प्रवेश पत्र पर लिखे निर्देशों का पालन करना आज्ञापक है।

(ग)– ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का केन्द्र :-

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा जबलपुर में आयोजित होगी परंतु अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार जबलपुर, भोपाल, इंदौर, सतना एवं उज्जैन, सभी या इनमें से आवश्यकतानुसार, एक या अधिक परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की जा सकेगी। जिला, परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा सत्र (Shift) के बारे में उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा। उक्त संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं होगा एवं इस संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।
2. यदि किन्हीं कारणों से ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के दिनांक, परीक्षा केन्द्र अथवा परीक्षा सत्र (Shift) को या उनमें से किसी में परिवर्तन करने की आवश्यकता होती है, तो इसकी सूचना उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश की वेबसाईट www.mphc.gov.in पर प्रकाशित की जावेगी।

(घ)– ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (Multiple Choice Question) पूछे जायेंगे। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसका प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे एवं परीक्षा की अवधि 02 घण्टे होगी। किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर दिये जाने पर अंक नहीं काटे जायेंगे अर्थात् ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा।

Post	Subject	Language	No. of Questions	Marks	Time
Junior Judicial Translator	English Grammar, Vocabulary, Maxims, Legal terminology, Proverbs & Quotations.	English	40	40	02.00 Hrs.
	हिन्दी व्याकरण एवं विधिक शब्दावली	हिन्दी	30	30	
	Computer Knowledge	English	20	20	
	General Knowledge	English	10	10	

नोट :- दिव्यांग आवेदकों के संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रमांक एफ नं.-29-06 /2019-डीडी-III दिनांक-10.08.2022 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील क्रमांक-273/2021 (विकास कुमार विरुद्ध संघ लोक सेवा आयोग एवं अन्य) में पारित निर्णय दिनांक 11.02.2021 (2021 एस सी सी ऑनलाइन एस सी 84) का पालन यथासंभव किया जायेगा।

(आठ)– ऑनलाइन परीक्षा हेतु आवश्यक जानकारियां :-

- (1) अभ्यर्थी को उसे आवंटित किये गये परीक्षा केन्द्र पर नियत तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा नियत किये गये समय के पश्चात् परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (2) निर्धारित तिथि व समय पर परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित न होने पर अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त हो जाएगी तथा किसी भी स्थिति में और यदि परीक्षा उसी दिन किसी अन्य सत्र में या किसी अन्य दिन होती है, तो भी परीक्षा देने की अनुमति नहीं दी जावेगी।
- (3) अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन अथवा/और फोटो खींचकर उसका मिलान परीक्षा फार्म में दिये गये फोटो से होने के बाद अभ्यर्थी की पहचान की पुष्टि होने पर ही उसे परीक्षा में बैठने दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, परीक्षा के दौरान भी अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।
- (4) परीक्षार्थी परीक्षा समाप्ति से पहले परीक्षा केन्द्र से बाहर नहीं निकल सकेंगे। सम्पूर्ण परीक्षा C.C.T.V. कैमरे की निगरानी में होगी एवं रिकार्डिंग की जावेगी।



- (5) परीक्षा कक्ष में अपने पास किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री रखने अथवा अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक/संचार उपकरण रखने/पहनने अथवा अन्य कोई ऐसी सामग्री, जो वीक्षक के दृष्टिकोण से संदिग्ध हो, रखने/धारित करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता को तत्काल रद्द किया जा सकेगा।
- (6) सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र में दर्शित सभी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा, निर्देशों का पालन नहीं करने अथवा किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता करने पर संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी।
- (7) नकल प्रकरण/अनुचित साधन के उपयोग से संबंधित मामले में अथवा अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी दिये जाने पर उसे स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा आयोजित की जाने वाली समस्त भर्ती प्रक्रियाओं से वंचित किया जा सकेगा।

(नौ)– ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम :-

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में दिये गये प्रश्नों के प्रस्तावित आदर्श उत्तर, जिनके आधार पर परीक्षाफल तैयार किया जाना आशयित है, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत इस सूचना के साथ प्रदर्शित किये जावेंगे कि यदि कोई अभ्यर्थी प्रस्तावित बहुविकल्पीय प्रश्नों के आदर्श उत्तर/आदर्श उत्तरों के संबंध में आपत्ति करना चाहता है, तो वह उक्त सूचना प्रकाशन से सात (07) दिवस में अपनी आपत्ति " प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक खण्ड, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर" के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा पोस्ट के माध्यम से निर्धारित प्रारूप में स्रोत दस्तावेज इत्यादि (जिस पर आधारित होकर अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता है) की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित व सत्यापित छायाप्रति सहित आवश्यक रूप से जमा करेगा। निर्धारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् अंतिम आदर्श उत्तर तैयार किये जायेंगे, जिनके आधार पर मूल्यांकन कर परीक्षा का परिणाम घोषित किया जायेगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/आवेदनों पर कोई विचार न करते हुए उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा, भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। इसी प्रकार निर्धारित प्रारूप में प्राप्त न होने वाली अथवा स्रोत दस्तावेजों के बिना प्राप्त होने वाली आपत्तियों को भी नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। यदि प्रस्तावित आदर्श उत्तरों पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है तो उन्हीं के आधार पर मूल्यांकन किया जावेगा।
2. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता (Merit) के आधार पर तैयार किया जावेगा। परीक्षा में अनारक्षित वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में श्रेणीवार प्रत्येक पद हेतु 1:3 (प्रत्येक पद के लिये 03 अभ्यर्थी), जिसमें कट-ऑफ अंक के समान



अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे भले ही सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1:3 के अनुपात से अधिक हो जाये, के अनुपात में अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जावेगा।

(दस)– आवेदन पत्र एवं दस्तावेज :-

1. मुख्य लिखित परीक्षा हेतु सफल हुए अभ्यर्थियों से निर्धारित दिनांक तक मुख्य लिखित परीक्षा हेतु आवेदन पत्र व दस्तावेज मंगाये जावेंगे। इन आवेदन पत्रों व दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा तथा जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुरूप नहीं पाये जावेंगे, उन्हें अपात्र कर उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी, पात्र व अपात्र पाये गये अभ्यर्थियों की सूचना उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
2. आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन रंगीन छायाचित्रों के साथ, अपनी कटेगरी सहित लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन-पत्र भेजा जा रहा है, उस पद का नाम अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। मुख्य लिखित परीक्षा हेतु आवेदन पत्र अभ्यर्थियों से परीक्षा अनुभाग द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक बुलाये जायेंगे। आवेदन का प्रारूप उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा। आवेदन पत्र परीक्षा अनुभाग द्वारा निर्धारित की गई तिथि तक आवश्यक रूप से "प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक खण्ड, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर" के नाम से संबोधित करते हुए, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की आवक शाखा (Receipt Section) में व्यक्तिगत रूप से अथवा स्पीड पोस्ट अथवा उचित माध्यम से जमा कराना होगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा भले ही विलंब डाक विभाग द्वारा किया गया हो। साथ ही आवेदन पत्र व आवश्यक दस्तावेज प्राप्त न होने की दशा में संबंधित अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। उक्त संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा और उन्हें नस्तीबद्ध कर दिया जायेगा।
3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक अर्हता से संबंधित दस्तावेज प्रेषित किया जाना अति-आवश्यक है, यदि किसी अभ्यर्थी के पास समस्त दस्तावेज उपलब्ध हैं एवं वह अपने आवेदन पत्र के साथ वांछित दस्तावेज (समस्त अथवा कोई भी एक दस्तावेज) संलग्न नहीं करता है तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थी को पात्र किये जाने के संबंध में किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा तथा नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

खण्ड—“द”

(क)– मुख्य लिखित परीक्षा :-

मुख्य लिखित परीक्षा 100 अंको की होगी। मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केंद्र की सूचना पृथक से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी। मुख्य परीक्षा की अवधि दो घंटे की होगी। अभ्यर्थियों को पूछे गये प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराई गई प्रश्नपत्र-सह-उत्तर पुरितका में ही लिखने होंगे।

(ख)– मुख्य लिखित परीक्षा केन्द्र :-

मुख्य लिखित परीक्षा उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर परिसर में अथवा जिला जबलपुर में किसी अन्य स्थान/परीक्षा केन्द्र पर आयोजित की जायेगी। परीक्षा केन्द्र के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा एवं इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों को संक्षिप्ततः नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा। परीक्षा की तिथि एवं परीक्षा केन्द्र की जानकारी उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित/सूचित की जावेगी।

(ग)– मुख्य लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

Post	Subject	Marks	Time
Junior Judicial Translator	Translation (Hindi to English)	40	02:00 Hrs.
	Translation (English to Hindi)	20	
	Vocabulary, Maxims, Legal Terminology, Proverbs, Quotations (In English language).	20	
	Computer Knowledge (In English language)	20	

नोट:- मुख्य लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

(ग्यारह)– अंतिम परिणाम :-

मुख्य लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर चयन सूची व प्रतीक्षा सूची (अंतिम परिणाम) बनायी जावेगी, अंतिम परिणाम को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर प्रकाशित/सूचित किया जावेगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की दशा में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता देते हुए सूची तैयार की जावेगी।

नोट :- अंतिम परिणाम सूची में अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होगा, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी

जांच करने के पश्चात् जैसा कि आवश्यक समझा जाये, यह समाधान नहीं हो जाता कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि या अन्य कोई सारवान् त्रुटि ध्यान में आती है तो उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश का पारिणामिक परिवर्तनों के साथ चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

अंतिम परिणाम सूची प्रकाशित होने के बाद ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में सम्मिलित हुए समस्त अभ्यर्थियों व मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित हुए सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक स्कोर कार्ड के माध्यम से उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईट पर प्रकाशित किये जावेंगे, जिसके लिए अभ्यर्थी को अपना रजिस्ट्रेशन क्रमांक व पासवर्ड दर्ज करना होगा।

टीप :-

1. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा के सम्बन्ध में ऊपर दिये गये **न्यूनतम अंक** के सम्बन्ध में कोई आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे और नस्तीबद्ध कर दिये जायेंगे।
2. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य लिखित परीक्षा में अंकों की पुनः जांच या उत्तरपुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा के किसी भी चरण में या इसके बाद पुनः परीक्षा की अनुमति नहीं होगी। अतः इस विषय में प्राप्त अभ्यावेदनों/आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा उन्हें बिना कोई कारण बताए नस्तीबद्ध कर दिया जाएगा।

(बारह) :- प्रतीक्षा सूची (Waiting List) :-

प्रत्येक पद की प्रतीक्षा सूची (Waiting List) अन्तिम परिणाम घोषित होने के दिनांक से मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के परिपत्र क्र0 F6-07/2012/एक(1), भोपाल, दिनांक-14, जुलाई, 2016 के अनुसार मान्य होगी।

(तेरह)- नियुक्ति संबंधी टीप :-

- (1) चयनित आवेदकों की नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी रूप से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जाएगी, जो कि नियमानुसार बढ़ाई जा सकेगी।
- (2) चयनित आवेदक को अधिकृत मेडीकल बोर्ड से स्वयं के व्यय पर निर्धारित शुल्क, यदि कोई हो, अदा कर मेडीकल जांच करवाकर फिटनेस सर्टिफिकेट पेश करना होगा।

(चौदह)- यात्रा व्यय का भुगतान :-

आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों से कोई परीक्षा शुल्क न लेते हुए केवल सेवा प्रदाता का शुल्क लिया जा रहा है, इस कारण परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(पंद्रह)– शुद्धिपत्र :-


उक्त रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान यदि किसी प्रकार के स्पष्टीकरण या संशोधन की आवश्यकता होती है, तो उक्त संशोधन "शुद्धिपत्र" के माध्यम से उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जावेगा। वेबसाइट पर प्रकाशित "शुद्धिपत्र" को सभी अभ्यर्थियों के लिये उचित एवं पर्याप्त सूचना के रूप में समझा जावेगा। "शुद्धिपत्र" की जानकारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्राप्त अभ्यावेदनों को नस्तीबद्ध कर दिया जावेगा।

(सोलह)– सूचना के अधिकार के तहत जानकारी :-

मुख्य लिखित परीक्षा की उत्तरपुस्तिका अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा करके अंतिम परिणाम जारी होने की तिथि से 03 माह तक प्राप्त कर सकते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में सूचना के अधिकार के तहत कोई आवेदन अंतिम परिणाम घोषित होने के पूर्व पोषणीय नहीं होगा।

(सत्रह)– विनष्टीकरण :-

परीक्षा में प्रयुक्त सभी आवेदन-पत्रों (अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों के मुख्य लिखित परीक्षा के आवेदनों को छोड़कर) व अन्य सामग्री को चयन सूची/अंतिम परीक्षा परिणाम घोषित होने के एक वर्ष बाद नष्ट कर दिया जायेगा।


रजिस्ट्रार जनरल

* * * *